



2026:AHC:65660

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत याचिका

संख्या- 2778 वर्ष 2026

जगपाल चौहान और 4 अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: पंकज भारती

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अमित सिंह, अनुराग पांडे, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 72

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल

1. आवेदकों के अधिवक्ता, प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता के साथ-साथ अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन केस अपराध संख्या-124 वर्ष 2026 में आवेदकों की ओर से बी.एन.एस., 2023 की धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109(1), क्योंकि आवेदक उपर्युक्त मामले में उनकी गिरफ्तारी की आशंका करते हैं।
3. आवेदकों के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकों को प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदकों को तीन अन्य आरोपियों के साथ नामित किया गया है जिन्होंने धारदार हथियारों और आग्नेयास्त्रों का उपयोग करके घायलों पर हमला किया था। उनका तर्क है कि घायल की चोट की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उन्हें आठ चोटें आई थीं और किसी भी चोट को तेज धार वाले हथियार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि धारा 161 द०प्र०स० के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में घायल ने केवल अमित पुत्र महेंद्र और रामदास पुत्र पिरथी का नाम लिया है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और आवेदकों का नाम हमलावरों के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है। उन्होंने केवल यह कहा है कि अमित पुत्र महेंद्र और रामदास पुत्र पिरथी आदि ने उनके व्यक्ति को चोटें पहुंचाई थीं। आवेदकों के अधिवक्ता का कहना है कि अन्यथा भी, चोटों की संख्या-और अभियुक्तों की संख्या एक दूसरे के अनुरूप नहीं है।

4. दूसरी ओर, प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता श्री अमित सिंह ने अग्रिम जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदकों को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया है। घायल दस दिनों की अवधि के लिए अस्पताल में रहे और अभी भी इलाज चल रहा है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि घायल ने विशेष रूप से आवेदकों का नाम नहीं लिया होगा, हालांकि, बयान का उद्देश्य यह था कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने उस पर हमला किया था।

5. अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का समर्थन किया है। हालांकि, अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सका कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और एक आपराधिक मामला, जिसके बारे में कहा जाता है कि आवेदक संख्या-1 के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बरी कर दिया गया।

6. मैंने पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित आवेदकों को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तेज धार वाले हथियार भी लगी चोटों के अनुरूप नहीं हैं। हालांकि घायल ने अपने बयान में कहा है कि अमित पुत्र महेंद्र और रामदास पुत्र पिरथी आदि ने उन पर हमला किया था। हालांकि, इस न्यायालय की राय में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित अभियुक्त की पहचान के संबंध में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, जिसका उद्देश्य घायल 'आदि' शब्द का उपयोग करते समय समान होना चाहता है। घायल व्यक्ति पर आठ की संख्या में पाई गई चोटें भी हमलावरों की संख्या से मेल नहीं खाती हैं।



8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदकों के अग्रिम जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

10. आवेदकों- जगपाल चौहान, प्रदीप, रोहित चौहान, सोहित चौहान और सागर चौहान की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित थाना/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए अपने व्यक्तिगत बांड और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर उपरोक्त मामले के अपराध में तुरंत रिहा कर दिया जाएगा: -

- i. आवेदक आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएंगे;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;
- iv. कि आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेंगे/डराएंगे नहीं;

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और मामले के गुण-दोष पर एक राय नहीं मानी जानी चाहिए।

मार्च 30, 2026

सचिन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।